

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा), संस्कृत शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा-1/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 08.08.2022

—: परिपत्र :—

राजकीय विद्यालयों के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 24.12.2021 एवं 26.05.2022 के अतिक्रमण में इन विद्यालयों के रूपान्तरण एवं संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. गांव/कस्बे/कलस्टर में स्थित विद्यालयों में यथा सम्भव उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय का ही चयन किया जावे लेकिन उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में या गांव/कस्बे/कलस्टर में एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में उपयुक्तता के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय को चयन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है।
2. गांव/कस्बे/कलस्टर में स्थित ऐसे विद्यालय जिसमें दो से अधिक संकायों का संचालन किया जा रहा हो एवं नामांकन भी अधिक हो, को चयन हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे।
3. दानदाता/भामाशाह/शहीद/स्वतंत्रता सेनानी के नाम से संचालित राजकीय विद्यालयों को चयन हेतु सामान्यतः प्रस्तावित नहीं किया जावे। यदि प्रस्तावित करना ही पड़े तो संबंधित/उनके परिवार की सहमति लेकर ही प्रस्तावित करें। सम्बन्धित/उनके परिवार की सहमति पर ही विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इन विद्यालयों का नाम पूर्ववत भामाशाह/दानदाता/शहीद/स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ही रहेगा।
4. सामान्यतः बालिका विद्यालयों को रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे। यदि प्रस्तावित करना ही पड़े तो एसडीएमसी की सहमति लेकर ही प्रस्तावित करें। केवल कम नामांकन वाले बालिका विद्यालयों को वह भी केवल उस स्थिति में ही प्रस्तावित किया जाय जबकि बालिकाओं के लिये निकट ही राजकीय विद्यालय उपलब्ध हो व उनकी पढ़ाई निकट के हिन्दी माध्यम विद्यालय में निरंतर जारी रह सके।
5. गांव/कस्बे/कलस्टर में रूपान्तरण हेतु कोई भी अन्य विकल्प नहीं होने की स्थिति में समुदाय/दानदाता/ एसडीएमसी के द्वारा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाये जाने की स्थिति में किसी राजकीय विद्यालय में समन्वित किये गये अन्य राजकीय विद्यालय को समन्वयन से मुक्त किया जाकर चयन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है।

ॐ

6. जनप्रतिनिधि/दानदाता/भामाशाह द्वारा आर्थिक सम्बलन प्रदान करने की स्थिति में प्राप्त प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर एवं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए चयन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है।
7. 1000 ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय रूपान्तरित किये जाने के लिए राजस्व गांव की जनसंख्या 5000 के स्थान पर 4000 एवं 4000 की जनसंख्या वाले गांवों में भी उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3000 की जनसंख्या वाले गांवों में भी संचालित किए जा सकेंगे।
8. यदि पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो तो दो अलग-अलग विंग में हिन्दी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पृथक-पृथक रूप से एक ही पारी में संचालित किए जा सकेंगे।
9. दोनों विद्यालयों को एक ही पारी में संचालित किए जाने हेतु यदि पर्याप्त भवन उपलब्ध न हो तो प्रथम पारी में अंग्रेजी माध्यम एवं द्वितीय पारी में हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे। लेकिन बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति में वह भी केवल राज्य सरकार की अनुमति से अपवाद स्वरूप।
10. वर्तमान सत्र में जिन विद्यालयों की राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपान्तरण की स्वीकृति जारी की गई है परन्तु अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा भविष्य में रूपान्तरित किए जाने वाले विद्यालयों में भी प्रथम चरण में केवल कक्षा 1-5 तक को ही अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया जायेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6-8 एवं तत्पश्चात पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार क्रमशः 9-12 तक की कक्षाओं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में किया जायेगा।
11. रूपान्तरण से पूर्व विद्यालयों में जिन तृतीय भाषा विषयों का अध्यापन किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण के पश्चात भी उन विद्यालयों में उन्हीं तृतीय भाषा विषयों का अध्यापन जारी रखा जायेगा। तृतीय भाषा विषयों को बदला नहीं जायेगा। **तृतीय भाषा विषय शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार कक्षा-6 प्रारम्भ होने पर ही की जायेगी।**
12. रूपान्तरित विद्यालयों में पूर्व में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बिना साक्षात्कार के सीधे ही स्थानान्तरण/पदस्थापन की सामान्य प्रक्रिया से हटाया/लगाया जायेगा।
13. अंग्रेजी माध्यम की कक्षा वर्ष-दर-वर्ष क्रमोन्नत होकर जब तक कक्षा-8 अंग्रेजी माध्यम हेतु प्रारम्भ नहीं होती तब तक हिन्दी माध्यम वाले संस्था प्रधान ही कार्य करते रहेंगे।
14. रूपान्तरित किये जाने वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आवश्यकतानुसार शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर कार्मिकों का पदस्थापन किया जाये।

७९

15. रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालयों में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में से अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप ही विद्यालय में सेक्शन निर्धारित किये जायें एवं अध्यापन हेतु स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार शिक्षकों की मांग विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार की जाये।

16. दिनांक 14.06.2019 को जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ/शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
13. रक्षित पत्रावली।

मातेन्द्र
08.08.2022
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम